## Central Goods & Services Tax Act, 2017

## Section 66: Special audit

- (1) If at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him, any officer not below the rank of Assistant Commissioner, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been correctly declared or the credit availed is not within the normal limits, he may, with the prior approval of the Commissioner, direct such registered person by a communication in writing to get his records including books of account examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by the Commissioner.
- (2) The chartered accountant or cost accountant so nominated shall, within the period of ninety days, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Assistant Commissioner mentioning therein such other particulars as may be specified:
  - **Provided** that the Assistant Commissioner may, on an application made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant or cost accountant or for any material and sufficient reason, extend the said period by a further period of ninety days.
- (3) The provisions of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.
- (4) The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit under subsection (1) which is proposed to be used in any proceedings against him under this Act or the rules made thereunder.
- (5) The expenses of the examination and audit of records under sub-section (1), including the remuneration of such chartered accountant or cost accountant, shall be determined and paid by the Commissioner and such determination shall be final.
- (6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

## धारा 66 : विशेष लेखापरीक्षा

- (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से परीक्षा करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निर्देश दे सकेगा।
- (2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा:

परन्तु सहायक आयुक्त, उसे इस निमित्त किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकांउंटेट या लागत लेखापाल द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त अविध को नब्बे दिन की और अविध के लिए उसका विस्तार कर सकेगा।

- (3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है।
- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखापरीक्षा के व्ययों, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।
- (6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि कर का संदाय नहीं किया गया है या कम कर संदत्त किया गया है या उसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।